महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह का प्रभाव : घनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड के विशेष सर्दभ में

2024

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय, घनबाद, झारखण्ड, भारत के समाजिक विज्ञान संकाय के, अर्थशास्त्र विभाग में

पी0 एच0 डी0 उपाधि हेतु

शोध - सार

शोधार्थी

निशि कुमारी

पंजीयन संख्या...

द्वारा

विश्वविद्यालय विभाग : अर्थशास्त्र (बी. बी. एम. के. यू, धनबाद)

शोध पर्यवेक्षिका

डा0 शोभा सरिता भूईयां

(विभागाध्यक्ष, अर्थशास्त्र विभाग)
एस. एस. एल. एन. टी. महिला महाविद्यालय,
धनबाद(झारखण्ड)

जनवरी 2024

महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूह का प्रभावः धनबाद जिला के बलियापुर प्रखंड क विशेष संदर्भ में

परिचय

भारत देश को आज भी गाँवों का देश कहा जाता है, भारत की कुल जनसंख्या में से लगभग 68.8 प्रतिशत आवादी ग्रामिण क्षेत्रों में निवास करती है। अधिकांश ग्रामिण परिवारों का मुख्य पेशा आज भी कृषि है, स्वभाविक रूप से अधिकतर आवादी के गाँवों में होने से महिला तथा पुरूष की संख्या यहाँ ज्यादा है। महिलाओं को आज भी परिवार का स्तंभ माना गया है, लेकिन ग्रामिण महिलायें आज भी हाशिए से निचे जिवन व्यतित करने को वाध्य है। लेकिन स्वंय सहायता समूह के माध्यम से इनकी स्थिति बदली जा सकती है। स्वंय सहायता समुह को सिर्फ भारत ही नहीं बल्कि दुनिया के अन्य देशों की सरकार एवं एनजीओ संगठित रूप से प्रयोग में ला रही है। ग्रामिण महिलाओं की आर्थिक, समाजिक और शैक्षणिक मजबुति के लिए स्वयं सहायता समुह मजबुत कड़ी साबित हो रही है। किसी भी प्रस्थिति में ग्रामिण क्षेत्रों में बदलाव के लिए व्यक्तिगत योजनाओं के बनिस्पत सामुहिक योजनाओं का उपयोग सार्थक हो सकता है। सन 2011 के आकलन के अनुसार ग्रामिण क्षेत्रों की आवादी का 20.72 कड़ोड़ परिवार वंचितों की श्रेणी में पाये गये, माना जाय तो इन्हें दो वख्त की रोटी और सर पे छत भी नसीब नहीं हो पाते लेकिन इस कमजोर हालात से बाहर निकलने के लिए व्यक्तिगत उपाय से अच्छा स्वयं सहायता समुह के क्रियान्वयन द्वारा ग्रामिण पिछड़े पन को दुर किया जा सकता है। (कुरूक्षेत्र).1

भारत जैसे देश का राजनीतिक सामाजिक और आर्थिक विकास स्त्रियों के विकास पर निर्भर करता है। जब एक महिला आर्थिक तथा सामाजिक रूप से सशक्त होती है तो न सिर्फ उसका परिवार, गाँव ही नहीं बल्कि पूरा देश भी सशक्त होता है। वर्ष 2011 की जनगणना के मुताबिक देश की करीब 83.3 करोड़ जनसंख्या गावों में निवास करती है, जिसमें, से करीब 40.51 करोड़ आबादी महिलाओं की है। इन महिलाओं के पास अवसर की कमी, कौशल की कमी और वित्त की कमी से इनकी उत्पादन क्षमता का लाभ देश को उपलब्ध नहीं हो पाता। अर्थात जब तक महिला का विकास नहीं किया जाएगा तब तक संपूर्ण विकास की कल्पना करना व्यर्थ है। हमारे भारतीय संविधान में महिलाओं को पूरूषों के समानांतर समृधि हेतु अनेक सुगम और सकारात्मक योजनाओं का समावेश किया गया है, ताकि महिलाओं का भी समस्त विकास हो सके। 8 मार्च को अंतराष्ट्रीय महिला दिवस की घोषणा, वर्ष 2000 की संयुक्त राष्ट्र द्वारा विश्व महिला दिवस की घोषणा, तथा 2001 में भारत सरकार द्वारा महिला सशक्तिकरण वर्ष की धोषणा, इत्यादि इस बात को दर्शाता है कि महिलाओं कि आर्थिक, समाजिक तथा शैक्षणिक सुधार का अनवरत प्रयास जारी है। जब तक

की हासिए से नीचे जीवन बसर कर रही महिला वर्ग अपने पैरों पे खड़ा होकर सशक्त परिवार तथा विकसित राष्ट्र की परिक्लपना में अपनी सहभागिता सुनिश्चित न कर लें। (कुरूक्षेत्र).2

महात्मा गाँधी जी के अनुसार यदि एक पुरूष को शिक्षित किया जाता है तो केवल एक ही व्यक्ति शिक्षित माने जा सकते हैं किन्तु यदि एक महिला को शिक्षित किया जाता है तो पुरे परिवार को शिक्षित बनाया जा सकता है। प्राथमिक तौर पर प्रारंभिक पाठशाला की पहली शिक्षक कही जाने वाली माँ द्वारा पूरे परिवार को शीक्षा प्राप्त हो सकती है तदोपरांत समाज, राज्य और फिर एक संपूर्ण शिक्षित राष्ट्र का निर्माण हो सकता है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए महिला मजबूती की महत्व को बल प्रदान करने हेतु स्वयं सहायता समूह का सूत्रपात हुआ।

स्वयं सहायता समूह को 1970 के दशक में मध्य बांगलादेश के ग्रामीण बैंक द्वारा लाई गई थी। इसकी स्थापना अर्थशास्त्री नॉबेल पुरस्कार विजेता प्रोफेसर मोहम्मद यूनूस द्वारा की गई थी। उनके अनुसार एसएचजी समाज के ऐसे वर्गों के लिए है जिनकी समाज में आर्थिक रूप से निम्न स्थान प्राप्त है। स्वयं सहायता समूह ने आर्थिक एवं सामाजिक विकास के मदेनजर पैसे का बचत कर योजनाओं द्वारा संचालित प्रशिक्षण के बल पे अपनी दैनिक बचत तथा न्यूनतम ब्याज दर पे स्वयं सहायता समूह से प्राप्त धनराशि का उपयोग कर निरंतर आय का स्त्रोत बनाकर अपनी आर्थिक, सामाजिक तथा शैक्षणिक समृद्धि के बलबूते परिवार ही नहीं ग्रामीण तथा पिछडें समुदाय को मजबूत कर देश को विकास के मार्ग पे अग्रसर कर दिया। भारत में 1972 में इला भट्ट जिन्होंने स्वरोजगार महिला संघ (SEWA) का गठन किया। यह वर्गीकृत रूप से बुनकरो, कुम्हारों, फेरीवालों, अल्पकालिक दैनिक मजदूरों तथा असंगठित क्षेत्र की महिलाओं की अपनी आय को बढ़ाने के उदेश्य से संगठित करने पे जोड़ दिया। स्वयं सहायता समूह ग्रामीण एवं शहरी महिलाओं के सशक्तिकरण हेतू एक अदभूत एवं आधुनिक विचार है। जो महिलाऐं अपनी आर्थिक स्थिति को सुधारना या आत्मनिर्भर बनना चाहती है वे अपनी इच्छा से इस प्रकार के एक समूह का निर्माण करती है। देश की सरकार द्वारा भी इस समूह को काफी महत्व एवं सहयोग के साथ–साथ काफी प्रोत्साहन भी दिया जा रहा है, ताकि महिलाऐं भी समाज का महत्वपूर्ण अंग बन सके। भारत जैसे अन्य विकासशील देशों में जहाँ ग्रमीणों को अपनी कर्ज हेतू बैंकों से लाभ नहीं ले पाते विशेषकर गरीब, वंचित वर्ग, खेतिहर मजदूर, छोटे किसान, दैनक श्रमिक इत्यादि को सहायता पहुँचाने के लिए स्वयं सहायता समूह को अपनाया गया। वैसे तो सक्षम वित्त से संबंधित अनेक योजनाएं हमारे देश में विद्यमान है लेकिन स्वयं सहायता समूह इन सबों से हटकर पूरे राष्ट्र में महिलाओं के विकास हेतु सफल योजनाओं के रूप में उभरा है।

भारत में वर्ष 1975 में एसएचजी का गठन एवं शुरूआत हुआ था। इसकी शुरूआत एक प्रमुख गैर सरकारी संगठन MYRADA द्वारा की गई थी। इसके बाद नावार्ड (NABARD) द्वारा वर्ष

1986–87 में स्वयं सहायता समूह नामक सामूहिक संस्था की स्थापना की गई थी। इसके बाद 1992 में स्वयं सहायता समूह को व्यवसायिक बैंकों से पायलट परियोजना के तहत जोड़ने का सार्थक प्रयास किया गया। 1993–93 के बीच इस परियोजना के तहत 650 स्वयं सहायता समूह को विभिन्न बैंकों से जोड़ा गया जो कि अपने लक्ष्य से 159 अधिक था। इस प्रकार एसएचजी को यह योजना (बैंक लिकेज) सार्थक मानी जाती है। केन्द्र सरकार के ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा वर्ष 2011 में राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन की शुरूआत हुई थो। इसका मुख्य उदेश्य ग्रामीणों को कौशल दिलाना सक्षम बनाना तथा स्थानीय स्तर पर रोजगार उपलब्ध कराना था। 29 मार्च 2016 से इस योजना का नाम बदलकर दीनदयाल अंत्योदय योजना–राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन कर दिया गया। स्थापना के बाद से यह लगभग सभी राजयों एवं संघ सासित प्रदेशों में महिलाओं को दोनों क्षेत्रों (कृषि तथा गैर कृषि) आजीविका में काफी मदद कर रहा है।

स्वंय सहायता समूह का गठन

स्वयं सहायता समूह एक ऐसा समूह है जो एक समान आय और समान पेशा वाले लोग सम्मिलित रूप से निर्धारित सख्या के साथ एकजूटता की भावनायुक्त होकर बनाते हैं। ये छोटे–छोटे समूह आपस में एक दूसरे की मदद के लिए ही बनाते है। यह समूह विशेषकर गरीब महिलाओं का होता है, जिसका मुख्य उदेश्य आर्थिक, समृधि और स्वरोजगार को सफलतापुर्वक संचालित कर ग्रामीण विपन्ता को दूर करना है।

- स्वयं सहायता समूह में सदस्यों की संख्या 10 से 20 होना अनिवार्य है।
- स्वंय सहायता समूह के प्रारंभिक काल में सदस्य संख्या पूरे होने के तुरंत बाद एक नाम का चयन कर उसका रजिस्टेशन कराना होता है।
- एसएचजी में किसी भी प्ररिस्थिति में एक परिवार से एक ही सदस्य का होने की वाध्यता है यथासंभव अन्य सदस्य भी एक ही गाँव तथा मुहल्ले से संबंधित होने चाहिए।
- स्वयं सहायता समूह के सदस्यों की उम्र सीमा भी निर्धारित 18 वर्ष से कम नहीं होनी चाहिए। समूह से जुड़ने वाले सभी सदस्यों को शारीरिक तथा मानसिक रूप से स्वस्थ होने चाहिए।
- इस समूह के सभी सदस्यों द्वारा अपने तरफ से निश्चित राशि जमा करना पड़ता है। इस राशि से आवश्यकता पड़ने पर उचित ब्याज दर पर ऋण भी दिया जाता है।
- एकत्रित जमा पूंजी को समूह के पदाधिकारी द्वारा बैंक में खाता खुलवाकर संपूर्ण राशि को जमा करवाया जाता है।
- समूह के सभी क्रियाकलाप के साथ आर्थिक समायोजन के लिए तीन पदाधिकारी जैसे सचीव, अध्यक्ष एवं कोषाअध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है।

स्वयं सहायता समूह को तीन महीने की अवधि को पार करते ही मदद के रूप में रू0 1500 की सहजता राशि प्रदान की जाती है। पुनः छः महीने पुरा करने पे रू0 15000 प्रदान किए जाते है, इसके अतिरिक्त जो महिलाएं स्वयं सहायता समूह से जुड़ी हुई है इन्हें स्वरोजगार स्थापित करने के लिए 50,000 रू0 से 1,10,000 तक की राशि ऋण के रूप में वापसी के शर्त पे दी जाती है।

स्वयं सहायता समूह के लिए धन का स्त्रोत

व्याज एवं अन्य आय

आारएफ/सीआइएफ/बी.आरी.एफ

एसएचजी

सदस्य बचत

बैंक ऋण

- **रिवोल्विंग फंड (आरएफ)**:—समूह का संचालन के लिए भारत सरकार की ओर से स्वयं सहायता को एसआरएफ के रूप में 1500 से 2500 तक की राशि दि जाती है। समूह के सदस्य इस राशि से बक्सा, दरी, रजिस्टर आदि खरीदते हैं। इस धन राशि को वापस नहीं करना होता है। एक निश्चित समय के बाद सरकार द्वारा एचएसजी को 15000 तक की धन राशि प्रदान की जाती है जिसे रिवोल्विंग फंड करते हैं। यह फंड उसी समूह को दी जाती है जो लगभग 1 से 3 महीना पूरा कर चूका हो।
- **सामुदायिक निवेश ऋण (सी.आई.एफ)**:—यह समूह को मिलने वाली दूसरी आर्थिक सहायता के रूप में दी जाति है। यह फंड अलग—अलग राज्यों में समूह की सफलता पर निर्भर करती है। यह ऋण 6 महिने के बाद लगभग 1,10,000 मिलता है, जिसे कि 50 या 60 किस्तों में 1 रूपये व्याज से ग्राम संगठन को वापस करना होता है।
- **जोखिम निवारण निधि (बी0 आर.एफ)**:—इसे आपदा कोष भी कहा जाता है जो कि ग्रम संगठन के पास उपलब्ध होता है, ताकि ग्रामीण गरीब परिवार को अकास्मिक जरूरत जैसे बीमारी, दुर्घटना एवं अन्य आवश्यकता के समय आसानी से राशि उपलब्ध हो सके। ग्राम संगठन के द्वारा समूह की आवश्यकता के अनुसार इस राशि को मांगी जाति है। इस मद में हर समूह को 15,000 रूपये तक का प्रावधान है, जिसे बिना किसी व्याज के रूप में दी जाति है।
- **भारत में स्वयं सहायता समूह**_महिलाओं के सामाजिक, राजनितिक एवं आर्थिक विकास में स्वयं सहायता समूह भारत के विभिन्न राज्यों में जैसे विहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, ओड़िसा, छत्तीसगढ़, आन्ध्रप्रदेश, तमिलनाडु आदि में सफल रूप में कार्य कर रहा है। इकोनामिक सर्वे के अनूसार वर्ष 2023 में भारत में लगभग 1 करोड़ 20 लाख स्वयं सहायता समूह है, जिसमें से 88 प्रतिशत महिलाओं का एसएचजी है। अलग—अलग राज्यों में हुए शोध कार्यो से यह पाया गया कि

स्वयं सहायता समूह में जूड़ने से ग्रामीण महिलाओं मं योग्यता दक्षता एवं कौशल काफो हद तक पहले की तुलना में बढ़ा है। इसी प्रकार कर्नाटक में एसएचजी के गठन के बाद राज्य के अधिक से अधिक गावों में बेरोजगारी कम पाई गई। इस तरह के कई उदाहरण अनेक राज्यों में भी देखा गया। स्वयं सहायता समूह आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग की महिलाओं को सशक्त एवं आत्म निर्भर बना रहा है, जिसके कारण महिलाओं को घर समाज तथा परिवार में सम्मान प्राप्त हो रहा है। आज आदिवासी समाज भी स्वयं सहायता समूह से जूड़ कर सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण को प्राप्त कर रही है। हजारीबाग के हुडुरू गाँव की रहनेवाली दलित महिलाओं ने करीब 18 स्वयं सहायता की मदद से अपनी आय में बढ़ोतरी की एवं अपनी जीवन स्तर को ऊपर उठाया। इस प्रकार उनके द्वारा किए गए इस सफल कार्य ने यह स्पष्ट कर दिया कि देश में एसएचजी क्या महत्वपूर्ण स्थान रखता है। एसएचजी से ऋण प्राप्त करके महिलाएँ बकरी पालन, गौ पालन, टेलीफोन बूथ, ईंट निर्माण, रिक्सा, ठेला, सिलाई दुकान, राशन दुकान आदि जैसे कार्य को शुरू करने स साहुकारों के चंगुल से बच जाती है। इन समुहों के द्वारा एक हुरहुर संग को भी बनाया गया जिससे महिलाओं को प्रेरणा मिली (कुरूक्षेत्र).3 इस प्रकार सरकार द्वारा चलाई गई एसएचजी ने विशेषकर ग्रमीण महिलाओं के आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक सशकिकरण के माध्यम से उनके विकास को एक नई दिशा प्रदान की है। वर्तमान में एसएचजी के लिए एक योजना आयी है जिसके अन्तर्गत 2024–25 से 2025–26 के लिए करीब 1,261 करोड़ रूपये के आवंटित परिव्यय के साथ जो कृषि कार्य में लगी समूह को ड्रोन प्रदान करने पर केन्द्रित है। इस योजना का मुख्य उदेश्य कृषि कार्य में महिलाओं को मजबूत कर तेजी से विकास एवं रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना है। (कुरूक्षेत्र).4

झारखंड में स्वयं सहायता समूह की शूरूआत सबसे पहले बोकारो जिले के चंदनक्यारी एवं चास ब्लाक से हुआ था। वर्ष 1993–94 में साहुकारों के दल–दल से निकलने के लिए सबसे पहले एक छोटे से समूह से इसकी शुरूआत हुई थी, और फिर धिरे–धिरे काफी अधिक संख्या में ऐसी समूहों का निर्माण होने लगा। आज झारखंड में लगभग सभी जिलों में एसएचजी काफी संख्या में विस्तार कर रहा है। एसएचजी ग्रमीण महिलाओं को आर्थिक दृष्टि से आत्मनिर्भर तथा उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने में काफी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। झारखंड में एसएचजी की कुल संख्या लगभग 2,79,774 है तथा धनबाद जिला में करीब 10,551 है। झारखंड के पहाड़ी सिंहभूम खूंटी, रामगढ़, पलामू की हजारों महिलाएँ स्वयं सहायता समूह में शामिल हुई है तथा इसे वह अपनी ताकत मानती है। इस तरह से राज्य में एसएचजी ग्रमीण महिला सशक्तिकरण की ओर अग्रसर है। सरकार ने दावा किया है कि 9 करोड़ महिलाओं के साथ 83 लाख स्वयं सहायता समूह (एसएचजी) सशक्तिकरण और आत्मनिर्भर बनने के साथ ग्रामीण सामाजिक आर्थिक परिवेश में बदलाव ला रहे हैं।

शोध का क्षेत्र:

मैने अपने शोध उदेश्यों को पूरा करने के लिए अपने अध्ययन क्षेत्र के लिए झारखंड राज्य के धनबाद जिले के बलियापुर प्रखंड का चुनाव किया है। झारखंड राज्य भारत का 28वाँ राज्य है तथा 15 नवम्बर 2000 को यह बिहार राज्य से अलग होकर यह राज्य अस्तित्व में आया। यह राज्य पूरब में पश्चिम बंगाल, पश्चिम में मध्य प्रदेश एवं उतर प्रदेश, उतर में बिहार और दक्षिण में उड़िसा से घिरा है। धनबाद भारत के झारखंड राज्य का एक जिला है जो कोयले की राजधानी के नाम से प्रख्यात है। यह झारखंड के पूर्वी हिस्से में स्थित है। इस जिले के उतरपूर्व में जामतारा जिला, पूर्व में दक्षिण तक पश्चिम बंगाल, पश्चिम में गिरीडीह जिला स्थित है। वर्तमान में धनबाद में 10 ब्लाक है जो कि इस प्रकार है—बाधमारा, बलियापुर, धनबाद, गोविन्दपुर, निरसा, तोपचाँची, टुँडी, पुर्वी टुँडी, एग्यारकुंड, कलियासोल।

मै अपने शोध के लिए बलियापुर का चुनाव इसलिए किया क्योंकि यह क्षेत्र कृषि बाहुल्य इलाका है ग्रामीण इलाका है। यहाँ की ज्यातर महिलाएँ कृषि कार्य में संलग्न है इसलिए आर्थिक स्थिति बहुत अच्छी नहीं है। इस क्षेत्र में स्वयं सहायता समूह इनके विकास में वरदान साबित हो सकता है तथा यहाँ काफी संख्या में एसएचजी कार्य भी कर रहा है। बलियापुर 23,24,57,N 86,31,27 E पर स्थित है। यह ब्लॉक पूर्व में निरसा सीडी ब्लॉक, उतर में धनबाद और गोविन्दपुर सीडी ब्लॉक, पश्चिम में पुरूलिया क्षेत्र में रघुनाथपुर द्वितीय सीडी ब्लॉक, दक्षिण में और पश्चिम में झरिया सीडी ब्लॉक तक सीमित है। बलियापुर में कुल 21 ग्राम पंचायतें और 66 गॉव

है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार, बलियापुर की लगभग कुल जनसंख्या 10,097 थी, उसमें 5,567(52%) पुरूष एवं 4,830 (48%) महिलाएँ थी। बलियापुर ब्लॉक की करीब 86%- आबादी ग्रामीण क्षेत्रों में तथा 14%- शहरी क्षेत्रों में।

समस्या का विवरण

किसी भी देश या राज्य के संपूर्ण विकास के लिए पुरूषों के साथ–साथ महिलाओं का योगदान काफी महत्वपूर्ण होता है। प्राचीन काल से ही नारी समाज की प्रगति को सफल बनाने में बहुत हद तक मददगार साबित हुई है। हमारे समूदाय या राष्ट्र के सामाजिक आर्थिक विकास में महिला सशक्तिकरण एक कुंजी की तरह कार्य करती है। किन्तु महिलाएँ समाज का कमजोर वर्ग रही है तथा गरीबी से जूझ रही पूरी आबादी का एक बड़ा हिस्सा है, खास कर ग्रामीण क्षेत्रों में रहनेवाली महिलाओं कि स्थिति तो और भी खराब रहती है। ग्रामीण महिलाओं के विकास हेतु अनेक योजनाएँ एवं कार्यक्रम चलाए गए जिनमें से एसएचजी इनके आर्थिक एवं सामाजिक विकास के लिए वरदान साबित हो सकता है। स्वयं सहायता समूह के माध्यम से महिलाओं की आर्थिक स्थिती में काफी सुधार हुआ है। किन्तु गाँवों के गरीब तबके कि महिलाओं का ज्यादा विकास नहीं हो पाया। इसके अलावा शिक्षा, स्वास्थ्य संबंधी जानकारी, अन्य अधिकार के बारे में उन्हें आज भी ज्ञान नहीं है। ग्रामीण महिलाओं को सशक्त करना अत्यन्त आवश्यक है ताकि वह आत्म निर्भर बन सके और उनमें सही निर्णय लेने, योजना और कार्यक्रम, अधिकार आदि क्षमता का विकास हो सके। इस कारण उनके साथ कभी भी घर, बाहर, या समाज में अत्याचार न हो। इसलिए एसएचजी का महिला सशक्तिकरण पर कितना सकारात्मक प्रभाव पड़ा तथा क्या परेशानिया है यह जानना अति आवश्यक है। इस तरह की कोशिश से हम परिवार, समाज एवं राज्य को सही मायने में समृद्ध तथा विकास कि ओर मोड़ सकते हैं।

साहित्य समीक्षा

भारत में महिला के आर्थिक एवं सामाजिक विकाश में एसएचजी के योगदान पर साहित्य समिक्षा।

चक्रवर्ती,एस.झा.ए.(2011), एस चक्रवर्ती ए.एन.झा इस लेख से यह पता चला कि स्वयं सहायता से जुड़ने के बाद महिलाओं कि आय में तथा जिवन स्तर में काफी वृद्धि पाई गई। आर्थिक स्थिति में सुधार होने से 60 प्रतिशत से अधिक महिला कर्ज के जाल से मुक्त हो गई तथा कई महिलाओं ने जमिन जायदाद, गहने,घर,मूल्यवान वस्तु आदि हाशील की है। उनमें शिक्षा तथा स्वास्थ्य सुधार की भावना पनपी है। इसके साथ अध्ययन में यह भी पाया गया की आदिवासी महिला तथा स्लम क्षेत्रों में रहने वाली महिलाओं का विकास नहीं हो पाया है जिसे एसएचजी के प्रचार–प्रसार से पूरा किया जा सकता है।

मिश्रा,एन.(2015), ने गरीब महिलाओं के मजबूतिकरण का विशलेशण किया जो उड़ीसा के कालाहंडी जिले से संबंधित थी। इसके लिए वहाँ के स्वयं सहायता समूह का अध्ययन किया गया

तथा पाया कि इस समूह से वहाँ कि महिला पहले से काफी सशक्त हुई है। इसके परिणाम स्वरूप परिवार के लिए आर्थिक योगदान तथा निर्णय की क्षमता में वृद्धि हुई है।

बिनोदनी आर एल एवं वैजयंती पी,(2016), इस लेख मे माध्यम से ज्ञात हुआ की स्वयं सहायता समुह महिलाओं को शसक्त तथा गरिबी दुर करने के लिए जरूतर मंदों तक पहुँचने में सफल है। इसके द्वारा उपयोग किये गये नविन योजनाओं तथा पद्यति के माध्यम से गरिबी एवं ग्रामिणों के जिवन स्तर में विभिन्न स्तरों पे विकाश हुआ है।

जैन,एम,(2016), इस अध्ययन से यह निष्कर्ष रूप में पाया गया कि एसएचजी व्यक्तिगत विकास, राजनीतिक सशक्तिकरण, उद्यमशिलता, सशक्तिकरण, ज्ञान तथा जागरूकता में वृद्धि के संबंध में एक महत्वपूर्ण उपकरण साबित हुआ है। समूह के सदस्यों को समय पर ऋण की राशि प्राप्त हुई है। इसके अलावे यह भी पाया गया कि अधिकांश समूह महिलाओं की थी एवं विवाहितो ं की थी अतः पुरूषों को भी इस कार्यक्रम से जुड़ना चाहिए।

रानी,एन,(2016), यह अध्ययन हरियाणा में महिला उद्यमियों के विकास में स्वयं सहयता समूहों की भूमिका से संबंधित था। इस अध्ययन में यह पाया गया कि महिलाओं में शिक्षा का निम्न स्तर तथा जिस तरह से पालन पोषण किया जाता है उस कारण उनमें आत्मविश्वास की कमी है। इसलिए कोई भी नया व्यवसाय शुरू करना उनके लिए अत्यन्त कठिन तथा जटिल कार्य था, क्योंकि उनके सामने कई समस्याएँ थी जैसे पारिवारिक सहयोग का अभाव, मानसिक बाधाएँ, व्यापार दक्षता की कमी, जागरूकता आदि शोधकर्ता के अनुसार राज्य सरमार के हस्तक्षेप की आवश्यकता है। इसके अलावा एसएचजी के लाभ तथा राज्य की महिलाओं को उद्यमशीलता के महत्व को प्रोत्साहित करना जरूरी है।

शाहा,एस,(2016), यह अध्ययन दुर्ग जिले की महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण में एसएचजी की भूमिका से संबंधित है। इस अध्ययन से यह ज्ञात हुआ कि स्वयं सहायता समूह के सदस्यों में आर्थिक एवं सामाजिक रूप से काफी मजबूतीकरण आया है एवं अधिक संख्या में महिलाएं एसएचजी से जुड़ी है तथा सही ढंग से चला भी रही है। यह भी पाया गया कि महिलाएँ अपने सामाजिक अधिकार से तो भलीभांति अवगत है। किन्तु एसएचजी के कार्यक्रमों के संबंध में जागरूकता की कमी थी। इसलिए वे बैंकों या अन्य कागजी कार्यवाही के लिए अन्य गैर सरकारी संगठन पर काफी निर्भर है जिसका समाधन करना जरूरी है।

राव,के,(2020), शोधकर्त्ता के द्वारा यह पाया गया कि उदयपुर में स्वयं सहायता समूह से जुड़ कर महिलाएँ आर्थिक एवं सामाजिक रूप से सशक्त हो रही है। इस कारण महिला का झुकाव अब

शिक्षा कि तरफ बढ़ा है तथा उनसे बचत करने की इच्छा भी जागृत हुई जिस कारण पुरूष पर महिलाओं कि निर्भरता में कमो हुई।

अनिता,(2023), इस शोध से यह निस्कर्ष के रूप में पाया गया कि स्वयं सहायता समूह ज्यादातर लाभार्थी को छोटी–छोटी किश्तों में ऋण देती है न की एकमुस्त क्योंकि ऐसा करने से सही मायने में जिस उदेश्य के लिए ऋण लिया जाता है उसी एवज में खर्च करने कि संभावना रहती है। इस तरह की ऋण लेने वाले व्यक्तियों की संख्या अधिक पाई गई जो लगभग 63.3 प्रतिशत व्यक्ति थे। काफी अधिक जनसंख्या मे लाग स्वयं सहायता समूह से जुड़कर रोजगार प्राप्त कर रहे हैं तथा लोगों में बचत क्षमता अधिक होने के कारण बैंकों द्वारा भी अच्छा सहयोग मिला है।

महिला सशक्तिकरण पर एसएचजी के प्रभाव पर साहित्य समीक्षा (झारखंड)

कर,एस,और प्रधान,ए. (2018), इस शोध से ज्ञात हुआ कि ज्यादातर महिलाएँ अपनी वित्त की कमी के कारण समूह में शामिल हुई थी, किन्तु आज भी वे अपनी प्राप्त आय को अपनी इच्छा से खर्च नहीं कर पाती हैं। सुझाव के रूप में यह बताया गया कि एसएचजी को महिलाओं के सशक्तिकरण के उपकरण के रूप में कार्य करने कि आवश्यकता है ताकि महिलओं में स्वास्थ्य, शिक्षा तथा उचित निर्णय लेने की क्षमता का विकास हो सके। दूसरा यह भी पाया गया कि सभी एसएचजी एक समान अच्छे ढंग से कार्य नहीं कर रही है। इस कारण कई सरकारी योजना एवं कार्यक्रम से वे अनभिज्ञ पाई गई।

लाल,एस,(2018), इस लेख में यह पाया गया कि स्वयं सहायता समूह से जुड़कर महिलाएँ अपना नया व्यवसाय शुरू कर रही है, वो अब कुटीर उद्योग जैसे पापड़, आचार, बकरी पालन, राशन दुकान इत्यादि को छोड़कर सूचना प्रौद्योगिकी में आर्थिक रूची रखने लगी है। साथ ही यह भी पाया गया कि कुछ परविारों में महिलाओं का आर्थिक सामाजिक क्षेत्र में निर्णय लेने कि क्षमता में वृद्धि हुई है। अतः आवश्यकता इस बात कि है कि पूरे झारखंड में दिर्घकालिन एवं स्थिर विकास के लिए स्वयं सहायता समूह से संबंधित जानकारी उपलब्ध कराई जाए एवं शिक्षा स्वास्थ सुविधा में भी सुधार किया जाए जिससे महिलाओं में जागरूकता पनपेगी।

हलदर, माजी, और मुखोपाध्याय, (2019), यह अध्ययन झारखंड के हजारीबाग जिला के चुस्त ब्लाक से महिलासशक्ति पर एसएचजी के प्रभाव से संबंधित है। इसमें यह पाया गया कि समूह में जुड़ने के बाद सिंचाई की उचित व्यवस्था से कृषि कार्य में काफी प्रगति हुई। इसके अलावा अन्य कार्य करने से भी महिलाओं की आय में उल्लेखनीय प्रगति हुई। यहाँ तक हर उम्र की महिलाएँ अब अपनी आर्थिक देनदारी के स्थिति में बढ़–चढ़ कर सहायता कर रही है। अतः यह पाया गया कि अन्य कार्यक्रमों कि अपेक्षा एसएचजी महिला सशक्तिकरण के लिए सबसे उचित उपकरण साबित हुआ है। भविष्य में यह समृद्ध विकास को बढ़ावा देने में मदद करेगा।

शोध अंतराल

महिलाओं के सशक्तिकरण से संबंधित कई शोध पत्रों का अध्ययन से यह पता चला कि महिलाओ की स्थिति से संबंधित जैसे आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं शिक्षा से संबंधित समस्याओं पर कई शोध हुए हैं। किन्तु महिलाओं के सशक्तिकरण पर एसएचजी का प्रभाव से संबंधित शोध धनबाद के बलियापुर प्रखंड के ग्रामीण इलाकों के संदर्भ में अभी तक नहीं हुआ है। यह अध्ययन विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं के सशक्तिकरण पर एसएचजी का क्या योगदान या प्रभाव रहा इससे संबंधित होगा। इसके अलावा समूह में शामिल होने से उनमें जागरूकता आई या नहीं इस बात का भी अध्ययन किया जाएगा।

समस्या की जाँच

ग्रामिण क्षेत्र में महिलाओं की आर्थिक तथा समाजिक परिवर्तन पर एसएचजी के प्रभााव का पुष्टिकरण करना है।

- एसएचजी ग्रुप से संबंध रखने वाली महिलाओं को इसके आंतरिक तथा बाहरी समस्याओं का समाधान खोजना।
- एसएचजी में जुड़ने के बाद महिलाओं की किस स्तर तक आर्थिक शैक्षणिक तथा पारिवारीक उत्थान हेतु अपने अधिकारों के प्रति जागरूकता में वृद्धि हुई।

शोध कार्य का उद्देश्य

(i)ग्रामीण महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण पर एसएचजी के प्रभाव का अध्ययन करना।

(ii) स्वयं सहायता समूह में शामिल महिलाओं की सामाजिक स्थिति का अध्ययन करना।

(iii) एसएचजी में शामिल महिला सदस्यों की जागरूकता स्तर का अध्ययन करना।

(iv) एसएचजी में शामिल महिलाओं के पारिवारिक स्तर पर नेतृत्व का अध्ययन करना।

परिकल्पनाए:-

(i) स्वंय सहायता समूह में शामिल होने से महिलाओं की आर्थिक स्थिति मजबुत हुई है।

(ii) स्वंय सहायता समूह में शामिल होने से महिलाओं की जीवन शैली एवं प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई है।

(iii) स्वयं सहायता समूह में शामिल होने से महिलाओं में जागरूकता बढ़ी है।

(iv) स्वयं सहायता समूह में शामिल होने से पारिवारिक स्तर पर नेतृत्व एवं समझदारी में वृद्धि हुई है।

शोध पद्धति:-

शोध की विधि

सामाजिक विज्ञान में मुख्य रूप से हम दो प्रकार के शोध का उपयोग करते हैं एक वर्णनात्मक शोध और दूसरा विश्लेष्णात्मक शोध। यह प्रस्तावित शोध कार्य विशलेष्णात्मक एवं वर्णनात्मक दोनों प्रकार की पद्धति का प्रयोग करके पूरा किया जाएगा।

चर

इस अध्ययन को पूरा करने के लिए चर के रूप में आय, जाति, शैक्षिक स्थिति, वैवाहिक स्तर, व्यवसाय की प्रकृति, आयु, वैक्तिगत सशक्तिकरण, सामाजिक, आर्थिक और स्वास्थ्य संबंधी जगरूकता को लिया जाएगा।

नमुना

प्रस्तावित शोध कार्य के लिए नमुना के तौर पे बलियापुर प्रखंड अन्तर्गत भिन्न–भिन्न गावों से यादृच्छिक विधि के माध्यम से 200 महिलाओं का चयन किया जायेगा, जो पुर्ण रूपेन एसएचजी से जुड़े हुए होंगी।

आकड़ों का स्त्रोत

इस शोध कार्य को पूरा करने के लिए प्राथमिक एवं द्वितीयक दोनों प्रकार के स्त्रोतों से आकड़ों को एकत्रित किया जाएगा ताकि यह शोध कार्य अच्छी तरह से किया जा सके।

प्राथमिक डेटा

शोध कार्य के लिए अर्ध संरचनात्मक प्रश्नावली के प्रयोग से प्राथमिक आंकड़ों को एकत्र किया जायेगा, इसके अलावा यादृच्छिक विधि के माध्यम से 10 एसएचजी नेताओं का चयन किया जायेगा, जिससे साक्षात्कार गुणात्मक डेटा एकत्र किया जायेगा। यह समयानुसार दुरभाष से भी लिया जा सकता है।

डेटा संग्रह उपकरण-

- एसएचजी सदस्यों के लिए अर्ध संरचित प्रश्नावली–यह प्रश्नावली उतर दाताओं के लिए उनके संबंध में प्रासंगिक मात्रात्मक डेटा एकत्र करने के लिए डिजाईन की जायेगी।

    I. रोजगार की स्थिति

II. मासिक आय

III. सुविधाओं की संख्या

IV. समुह संगठन

V. सदस्यों की बचत

VI. व्यय पैटर्न

VII. उपयोग की आदतें

VIII. प्रशिक्षण से कितना लाभ मिला

IX. पारिवारीक मामलों में निर्णय लेने की भुमिका

X. एसएचजी में शामिल होने के बाद समास्याओं का विवरण

द्वितीयक डेटा–द्वितीयक आकड़ों को इकठा करने के लिए निम्न स्त्रोतों की मदद ली जाएगी।

विभिन्न सरकारी विभागों से

- पत्रिकाओं
- पुस्तकों
- लेखों
- दैनिक समाचार पत्र
- योजना एवं कुरूक्षेत्र
- शोध पत्रों
- वेवसाइटों

आकड़ों का विशलेषण

एकत्रित किए गए आकड़ों का विशलेषण करने के लिए विभिन्न तकनिकों जैसे प्रतिशत माध्य जेड टेस्ट काई वर्ग प्रशिक्षण एवं आवश्यकता अनुसार मानक विचलन का भी प्रयोग किया जायेगा।

डेटा प्रस्तुतीकरण

एकत्रित आंकड़ों को प्रस्तुत करने के लिए बार चार्ट, पाई चार्ट, टेबल एवं चित्र का प्रयोग किया जायेगा।

शोध का महत्व

आज पूरे विश्व मे भारत सश्क्त आर्थिक शक्ति के रूप में उभर रहा है एवं महिलाऐं कि स्थिति में भी काफी बदलाव दिख रहा है। सामाजिक बेड़ियों को तोड़कर हर क्षेत्र में महिलाओं बढ़–चढ़ कर हिस्सा ले रही है, जिससे महिलाओं का हर क्षेत्र में विकास हो रहा है। महिलाओं के विकास के लिए सरकार द्वारा कई योजना एवं कार्यक्रम चलाए गए, जिनमें से स्वयं सहायता समूह महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा देने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहो है। मेरा यह अध्ययन ग्रामीण महिला सशक्तिकरण पर एसएचजी का प्रभाव को जानने के लिए आयोजित किया जाएगा। अर्थात उनकी स्थिति, क्षमता और जागरूकता को करीब से जानकर उनकी परेशानियों को सुलझाने हेतु समाधान भी दिया जाएगा। इसके अलावा महिलाओं के सशक्तिकरण हेतु अन्य योजनाओं व कार्यक्रमों से अवगत कराने हेतु भी अध्ययन आयोजित होगा।

मौजुदा ज्ञान में योगदान-

- प्रस्तावित शोध के माध्यम से समह मे महिला सदस्यों में आर्थिक समृद्धि के तौर तरीकों के ज्ञान के साथ–साथ पारिवारीक, सामुहिक एवं सामाजिक संगठनों के साथ ताल मेंल बनाकर मजबुती को प्राप्त करने का ज्ञान हासिल होगा।
- एसएचजी के साकारात्मक प्रभाव से महिलाओं में व्यापक बदलाव आने की सम्भावना अधिक होगी, इससे राष्ट्र का सतत विकाश सुनिश्चित होगा।

शोध सीमा :-

यह अध्ययन महिलाओं के सशक्तिकरण पर एसएचजी के प्रभाव को ध्यान में रखकर किया जाएगा, विशेष रूप से आर्थिक एवं सामाजिक सशक्तिकरण पर केन्द्रित होगा।

- भौगोलिक सीमा को ध्यान में रखकर ही शोध कार्य किया जाएगा अर्थात यह शोध केवल धनबाद के बलियापुर प्रखंड के अर्न्तगत ही होगा। इससे बाहर का क्षेत्र नहीं लिया जाएगा।

भविष्य का कार्य :-

यह शोध धनबाद में सिर्फ एक प्रखंड को लेकर किया जाएगा इसलिए आगे कोई भी शोध और भी अधिक प्रखंड को लेकर विस्तृत रूप से किया जा सकता है।

- इसके अलावा कोई भी शोधकर्त्ता ग्रामीण तथा शहरी महिलाओं के सशक्तिकरण पर एसएचजी के प्रभाव का तुलनात्मक अध्ययन कर सकता है।

अस्थायी अध्यायीकरण :-

1. परिचय
2. साहित्य समीक्षा एवं अनुसंधान पद्धति।
3. भारत में स्वयं सहायता समूह की संगठन कार्यप्रणाली एवं विशेषता।
4. महिला सशक्तिकरण के विशेष संदर्भ में स्वयं सहायता समूह का योगदान
5. डेटा विशलेशन और व्याख्या।
6. निष्कर्ष एवं सुझाव।
7. संदर्भ

संदर्भ

1. सिन्हा. एस. (2015), सरकार का ग्रामिणों तक पहुँचने का रास्ता पंचायतें, कुरूक्षेत्र, नवम्बर पृष्ठ सं0–27–28
2. जोशी, पी. (2016), सश्क्त होती ग्प्रमिण यूवा महिलायें, कुरूक्षेत्र अगस्त पृष्ठ सं0–45–46
3. मोदी, के. एम. (2014), ग्रामिण महिला रोजगार में स्वंय सहायता समुहों का योगदान, कुरूक्षेत्र अक्टुबर, पृष्ठ सं0–26–27
4. दाधीच, बी. (2024), महिला स्वयं सहायता समुहों के लिए योजना, कुरु़क्षेत्र पृष्ठ–22
5. चक्रवर्ती एस, कुमार, ए. और झा, ए.एस.(2013), भारत में महिला सशक्तिकरण, मुदे, चुनौतियां और भविष्य की दिशायें, सामाजिक विज्ञान और मानवीकी की अंनतरराष्ट्रीय समिक्षा, खंण्ड–5, अंक–1, पृष्ठ–154–163
6. मिश्रा एन, (2015), दुर्ग जिले में महिला सशक्तिकरण एवं स्वंय सहायता समूह के द्वारा एक विशलेश्नात्मक अध्ययन, मानवता और सामाजिक विज्ञान में अन्तर्राष्ट्रीय जनरल, खण्ड–2, अंक–5, पृष्ठ सं0–(8591),ISSN-2394-9694
7. विनोदनी आर एल, और वैजयंती (2016), ग्प्रमिण भारत में महिलाओं की स्वयं सहायता समूह और सामाजिक आर्थिक सशक्तिकरण इण्डियन जनरल ऑफ साइंस एण्ड टेक्नॉलोजी वॉल्युम–9 (27) ISSN-0974-5645
8. रानी, एन. (2016), महिला उद्यमिता के विकास में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका, हरियाणा।
9. कौर. एस. और प्रधान, ए. (2018), भारत में महिला सशक्तिकरण, एक अर्न्तराष्ट्रीय जर्नल ग्लोवल प्रबंधन एवं आइटी का, खंड–9 अंक–2 ISSN-0975-721X

10. गाँव क्लेक्शन, (2018), दुर्गम इलाकों में महिलाओं कि ताकत बन रहे स्वयं सहायता समूह झारखंड https://WWW.gaon connection.com अवलोकन तिथि (23.01.2024)
11. लाल, एस. के. (2019), झारखंड में महिला सशक्तिकरण में माहक्रो फाइनेंस की भूमिका, थिंक इंडिया त्रैमासिक पत्रिका, खंड–22, अंक–4
12. हलदर, माजी, मुखोपाध्याय, (2019), महिलाओं के नेतृत्व विकास वाले एक मंच के रूप में एसएचजी, जर्नल ऑफ रूरल एंड इंडस्ट्रियल डेवलमेंट, हजारीबाग।
13. महिला एवं विकास स्वयं सहायता समूह आन्दोलन WWW.MISU.ac.in पृ0–170
14. राव, के. (2020), महिला सशक्तिकरण में स्वयं सहायता समूहों की भूमिका का आर्थिक विश्लेषण, उदयपुर जिले के संदर्भ में।
15. आर, एन. और शुक्ला, डी0 के. (2022), सरकारी योजना स्वयं सहायता समूह का प्रभाव झारखंड में महिला सशक्तिकरण के गठन पर, अर्न्तराष्ट्रीय जर्नल V-13,E-ISSN-2455-5156 राँची।
16. अनिता, (2023), स्वंय सहायता समह द्वारा राजस्थान के दांगरपुर जिले का एक अध्ययन, ISSN-0975-735X
17. WWW.dristias.com , अवलोकन तिथि, 26.01.2024
18. महाराष्ट्र में महिलाओं के सामाजिक सशक्तिकरण पर एसएचजी के प्रभाव का मूल्यांकन राष्ट्रीय महिला आयोग नई दिल्ली, पृ0 सं0–1–2